

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 39: Furnishing of returns

¹(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State or Union territory, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.]

1 Sub-sections (1) & (2) substituted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 10-11-2020 by Noti. No. 81/2020–Central Tax, dt. 10-11-2020. Earlier to substitution it read as under:

"(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or, section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, ^A[in such form, manner and within such time as may be prescribed, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars as may be prescribed, ^B[****].

^C[**Provided that** the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.]

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10 shall, for each quarter or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of turnover in the State or Union territory, inward supplies of goods or services or both, tax payable and tax paid within eighteen days after the end of such quarter."

A. Earlier substituted for "in such form and manner as may be prescribed" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018).

B. Earlier omitted the words "on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018).

C. Earlier proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018).

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.
- (4) Every taxable person registered as an Input Service Distributor shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within thirteen days after the end of such month.
- (5) Every registered non-resident taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within ²[thirteen] days after the end of a calendar month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier.
- (6) The Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the returns under this section for such class of registered persons as may be specified therein:
Provided that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.
- ³[(7) Every registered person who is required to furnish a return under subsection (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or subsection (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

2 Substituted for "twenty" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

3 Sub-section (7) substituted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 10-11-2020 by Noti. No. 81/2020-Central Tax, dt. 10-11-2020. Earlier to substitution it read as under:

"(7) Every registered person, who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return.

^A[**Provided** that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.]"

A. Earlier proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

⁴**Provided** that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,–

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:]

Provided further that every registered person furnishing return under subsection (2) shall pay to the Government the tax due taking into account turnover in the State or Union territory, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.

- (8) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) shall furnish a return for every tax period whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such tax period.
- (9) ⁵[Where] any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars ⁶[in such form and manner as may be prescribed], subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after ⁷[the thirtieth day of November] following ⁸[the end

4 Proviso substituted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to substitution it read as under:

"**Provided** that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed."

5 Substituted for "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

6 Substituted for "in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). This amendment, not yet enforced.

7 Substituted for "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

of the financial year to which such details pertain], or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.

- (10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods ⁹[or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.]

- ¹⁰[(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.]

-
- 8 Substituted for "the end of the financial year" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). This amendment, not yet enforced.
- 9 Substituted for "has not been furnished by him" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.
- 10 Sub-section (11) inserted by Finance Act, 2023, effective date is yet to be notified.

धारा 39 : विवरणियां देना

1[(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

- (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।]
- (3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर एक विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप में देगा।
- (4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए, ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए ऐसे मास की

1 वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 81/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा इसको दिनांक 10.11.2020 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (1) इस प्रकार थी :

“(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप में, माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, की विवरणी A[.....] B[एसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए], देगा

प[परन्तु] सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अनुसूचित कर सकेगी जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।]

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति, में जो विहित की जाए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में का आवर्त किसी माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, ऐसी तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अठारह दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप में देगा।”

A. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा “एसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

B. शब्द “एसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व” सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा विलोपित।

C. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

समाप्ति के पश्चात् तेरह दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक विवरणी देगा।

- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, कलेंडर मास के अंत के पश्चात् 2[तेरह] दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर इनमें जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक विवरणी देगा।
- (6) आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा :
परन्तु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।
- ³[(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

⁴[**परन्तु** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,—

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा शब्द "बीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (7) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 81/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा दिनांक 10.11.2020 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह उपधारा (7) इस प्रकार थी :

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

^A[**परन्तु** सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपाय के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।]"

A सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

4 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध कर का संदाय करेगा:"

विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा:]

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई है या नहीं।

(9) ⁵[जहां] किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा सवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए, ⁶[ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए] दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु ⁷[ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति] के पश्चात् ⁸[30 नवम्बर] या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की अंतिम तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए ⁹[पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) "उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां सूचना में आई है" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

7 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "वित्तीय वर्ष की समाप्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

8 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

भाग-I

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों।]

¹⁰[(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरण को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।]

¹⁰ वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (11) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।